

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अग. 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलमी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	8898	877	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1826	3	--	-
3	असम	4083	58	--	-
4	बिहार	5996	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5021	--	1	4550
6	गोवा	657	332	--	-
7	गुजरात	5244	513	--	-
8	हरियाणा	832	1296	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखण्ड	485	--	--	-
12	कर्नाटक	6192	--	--	21000
13	केरल	2295	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	984	--	-
15	महाराष्ट्र	45173	680	--	22500
16	मणिपुर	165	108	--	-
17	मेघालय	778	44	9	-
18	मिज़ोरम	376	49	--	-
19	नगालैंड	1765	36	--	-
20	उड़ीसा	12008	1564	91	24053
21	पुदुचेरी	329	--	--	1109
22	पंजाब	1680	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	4200
24	तमिलनाडु	7129	--	40	17520
25	तेलंगाना	6087	1331	--	-
26	त्रिपुरा	400	10	--	600
27	उत्तराखण्ड	992	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3490	136	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9555	622	214	-
	कुल	131456	8645	671	95532

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।